

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 74 / 2010

संस्थित दि.: 10 / 02 / 2010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

बाबूलाल यादव पिता मुरारी यादव, उम्र 28 साल,
 निवासी साल्हेवारा थाना साल्हेवारा, जिला राजनंदगांव (छ.ग.)..... आरोपी

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक-10/02/2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए एवं मोर्टयान अधिनियम की धारा 39/192, 66/192 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 17.01.2010 को समय करीब 12:00 बजे मलाजखण्ड बैहर मेनरोड लालघाटी बंजारी मन्दिर के पास वाहन सूमों क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मूलचंद तथा लोटनलाल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है एवं वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया तथा बिना परमिट के अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मदनलाल ने दिनांक 17.01.2010 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 17.01.2010 को समय करीब 12:20 बजे मोहगांव बस स्टेण्ड में खड़ा था तो उसे पता चला कि सूमों गाड़ी से एक मोटरसायकिल का

लालघाटी मेनरोड पर एक्सीडेंट हो गया है तथा मोटरसायकिल सवार दो व्यक्ति रोड पर पड़े हुये है। वहां जाकर देखा तो वह उसके पहचान के मूलचंद एवं लोटनलाल पटले निवासी भीकेवाड़ा के थे जिनकी बॉक्सर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-बी.ए. 2069 को मलाजखण्ड तरफ से जा रही सूमों वाहन क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 के चालक ने तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया। फरियादी की रिपोर्ट पर सूमों वाहन क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/2010 अन्तर्गत धारा 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर सूमों वाहन क्रमांक सी.जी.04-एच.ए. 9795 के चालक को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 130(3)/177, 39/192, 66/192 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 66/192 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है वह निर्दोष है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 17.01.2010 को समय करीब 12:00 बजे मलाजखण्ड बैहर मेनरोड लालघाटी बंजारी मन्दिर के पास वाहन सूमों क्र. सी.जी.04-एच.ए.9795 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मूलचंद तथा

लोटनलाल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

- (2) क्या आरोपी ने इसी, दिनांक समय व स्थान पर वाहन सूमों क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी, दिनांक समय व स्थान पर वाहन सूमों क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 को बिना परमिट के अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने दिनांक 17.01.2010 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी मदनलाल की रिपोर्ट पर वाहन सूमों क्रमांक सी.जी. 04-एच.ए.9795 के चालक के विरुद्ध मृतक मूलचंद एवं लोटनलाल पटले की मृत्यु के संबंध में अपराध क्रमांक 08/10 धारा 304-ए एवं मोटरवाहन अधिनियम की धारा 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। उसी दिनांक को मार्ग क्रमांक 3/10, 4/10 की मार्ग इंटीमेशन कायम कराया था, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल पर जाकर फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल पर मार्ग जांच में उपस्थित होने संबंधी पृथक-पृथक मार्ग का समंस जारी किया था, जो प्रदर्श पी-04 एवं प्रदर्श पी-05 है। गवाहों के समक्ष दोनों मृतकों का शव पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श

पी-06 एवं 07 है। शव पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात् घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहन क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। शव को आरक्षक तिलक सिंह के माध्यम से पी.एम. हेतु भेजा गया था। वाहन में सवार राधा अग्रवाल एवं विमला की चोटे आई थी, जिनकी एम.एल.सी. कायम कराई थी। फरियादी मदनलाल एवं साक्षी श्रीमति उर्मिलाबाई, अनिता, श्यामबती साहू, बुदियानबाई, विमलायादव, राधा अग्रवाल, रामेश्वर पटले, ईश्वरदयाल पटले, देवेन्द्र बघेल, भुपेन्द्र, योगेश्वर पटले के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 18.01.2010 को आरोपी बाबूलाल यादव के द्वारा वाहन के दस्तावेज पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। प्रकरण में जप्त शुदा वाहन का परीक्षण करवाया था।

(08) अभियोजन साक्षी/फरियादी मदनलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी लालघाटी की है। घटना के समय वह मोहगांव में था पता लगने पर वह घटनास्थल पर गया तो दोनों मृतक मूलचंद एवं लोटनलाल उसके पहचान के थे। घटनास्थल पर मोटरसायकिल गिरी पड़ी थी तथा वहां पर एक जीप खड़ी थी और मृतक घटनास्थल पर रोड के किनारे पड़े हुए थे। घटनास्थल पर उसे पता चला कि मोटरसायकिल का एक्सीडेंट वहां पर खड़ी जीप से हुआ है। ड्रायवर के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बाबूलाल यादव से कोई जप्ती नहीं की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने उसकी निशादही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी बाबूलाल से पुलिस ने टाटा सूमों क्रमांक सी. जी.04-एच.ए.9795 का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और आरोपी का लायसेंस उसके समक्ष जप्त किया था।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस.उयके (अ.सा. 16) का कहना है कि उसने दिनांक 17.01.2010 को मोहगांव अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर

कार्यरत्न रहते हुये आरक्षक तिलकसिंह क्रमांक 880 थाना मलाजखण्ड के द्वारा लोटनलाल पिता खडसू पटले के शव को शव परीक्षण हेतु लाने पर उसने मृतक का शव परीक्षण किया था। परीक्षण करने पर उसने निम्न चोटे पायी :- मृतक का शरीर ठंडा था, पीठ के बल से लेटा हुआ था, आंख की पुतली फैली हुई थी, दोनों हाथ एवं पैर में राईगरस मौजूद था, आंख और मुंह आंशिक रूप से खुले हुये थे, त्वचा और नाखून का भाग पीला था, खोपड़ी के सामने वाले बांये साईड के भाग पर एक फटा हुआ घाव एवं संबंधित भाग की हड्डी टूटी हुई थी, साईड की नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी, दाहिने एवं बांये कंधे की हड्डिया टूटी हुई थी और उसके उपरी भाग के माशपेशियां एवं त्वचा कंटूजन थी, बांये भाग के घुठने की हड्डी टूटी हुई थी जहां पर सात इंच लम्बाई एवं पांच इंच चौड़ाई का घाव था जो फटा हुआ स्वरूप का था एवं संबंधित भाग के रक्त वाहिकाएं भी फटी हुई थी, दाहिने रेडियस एवं अलना हड्डी टूटी हुई थी और फटा हुआ घाव था तथा रक्त वाहिकाएं भी फटी हुई थी, मेरुदंड एवं कपाल का परीक्षण करने पर झिल्ली एवं मस्तिष्क के मेरुरज्जू व सभी भाग में पेल था, वक्ष के भाग में पर्दा, पसली कोमलस्थ, फुफुस, कंठ श्वास नली, दाहिना फेफड़ा व बांया फेफड़ा, पेरिओन और परकरसम, हृदय, वृहत् वाहिकाएं सभी पेल थी, आंतो में अधपका भोज्य पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत में आंशिक रूप से अधपका द्रव्य भोज्य पदार्थ मौजूद था, बड़ी आंत में मल मौजूद था, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूलाशय सभी पेल थे एवं मूत्राशय खाली था, बाहरी एवं आन्तरिक जनेन्द्रीय सामान्य थी पर पेल थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के छः से बारह घण्टे के अन्दर हो चुकी थी। उसी आरक्षक द्वारा मृतक मूलचंद पिता बेनीराम को शव परीक्षण हेतु लाने पर उसने मृतक के शव परीक्षण में पाया कि :- शरीर ठंडा था, पीठ के बल लेटा हुआ था, आंख पुतली फैली हुई थी, दोनों हाथ और पैर में राईगरस मौजूद था, शरीर के त्वचा एवं नाखून पर पेल था, आंख और मुंह आंशिक रूप से खुले थे, बांया आंख फटा था, कपाल, नाक, बांये हाथ की कलाई व दाहिने जांघ की हड्डी टूटी हुई थी तथा फटा हुआ घाव था। कपाल का परीक्षण करने पर झिल्ली एवं मस्तिष्क के मेरुरज्जू व सभी भाग में पेल था, वक्ष के भाग में पर्दा, पसली कोमलस्थ, फुफुस, कंठ श्वास नली, दाहिना फेफड़ा व बांया फेफड़ा,

पेरिओन और परकरसम, हृदय, वृहत् वाहिकाएं सभी पेल थी, आंतों में अधपका भोज्य पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत में आंशिक रूप से अधपका द्रव्य भोज्य पदार्थ मौजूद था, बड़ी आंत में मल मौजूद था, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूलाशय सभी पेल थे एवं मूत्राशय खाली था, बाहरी एवं आन्तरिक जनेन्द्रीय सामान्य थी पर पेल थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के छः से बारह घण्टे के अन्दर हो चुकी थी।

(10) अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र वर्मा (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कुछ याद नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि दिनांक 17.01.2010 को पुलिस ने लोटनलाल पटले एवं मूलचंद के नक्शा पंचायतनामा के समय उसे बुलावाया था एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-01 एवं 02 पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस मृत्यु जांच में आई थी तब वह घटनास्थल मौजूद था व पंचायतनामा प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(11) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र बघेल (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर था। घटनास्थल पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस मृतकों के संबंध में कार्यवाही कर रही थी उस समय उसने नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-01 तथा मृत्यु जांच आवेदन पत्र प्रदर्श पी-03 पर हस्ताक्षर किये थे। मृत्यु किस कारण और कैसे हुई इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है तो वह घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल पर सूमों या स्कार्पियो वाहन खड़ा था। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल से वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने उसके सामने एक दो पहिया वाहन को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-06 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि सूमों वाहन द्वारा मोटरसाइकिल को ठोस मारकर दुर्घटना कारित की गई। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-07 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये और समझाये जाने से पुलिस को ऐसा कथन देने से इन्कार किया।

(12) अभियोजन साक्षी विक्रमदास (अ.सा. 4) का कहना है कि पुलिस ने उसके कथन से लगभग साल भर पूर्व पंचायतनामा प्रदर्श पी-03 एवं सूचना पत्र प्रदर्श पी-04

पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसे बताया था कि एक्सीडेंट में दो लोगों की मृत्यु हो गई है। नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-01 पुलिस ने उसके सामने नहीं लिखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-02 की लिखापढ़ी उसके सामने हुई।

(13) अभियोजन साक्षी शिवाजी (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके समक्ष मृत्यु जांच का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-01 है, जिसकी सूचना उसे पुलिस वालों ने दी थी, जो प्रदर्श पी-03 है।

(14) अभियोजन साक्षी रामेश्वर पटले (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना दिनांक 17.01.2010 की है। घटना दिनांक को उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि मूलचंद का सूमों वाहन से एक्सीडेंट लालघाट के पास हो गया है। उक्त सूचना पर वह लालघाट गई थी। जहां पर मोटरसायकिल और मूलचंद तथा लोटनलाल पड़े हुये थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक मूलचंद का शव पी.एम. के बाद उसे प्रदर्श पी-02 के अनुसार सौंपा गया था। वह बाबूलाल को नहीं जानती है। पुलिस वालों ने थाना मलाजखण्ड में उसके सामने सूमों वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लायसेंस बीमा के कागजात जप्ती कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-1 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि पुलिस ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 की कार्यवाही करते समय उसे बताया कि आरोपी बाबूलाल यादव से वाहन और उसका लायसेंस, बीमा कागजात जप्त कर रहे हैं और उस उपरान्त उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे।

(15) अभियोजन साक्षी ईश्वरदयाल (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को उसके पिताजी मूलचंद के साथ मोटरसायकिल से सीतापुर जा रहे थे। मोबाईल से उसे सूचना प्राप्त हुई कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह मोहगांव शासकीय अस्पताल गया था। एक्सीडेंट टाटा सूमों वाहन से हुआ था यह बात उसे पता चली थी।

(16) अभियोजन साक्षी भूपेश शरणागत (अ.सा. 8) का कहना है कि घटना

उसके कथन से तीन वर्ष पुरानी है। उसके पिताजी मोटरसायकिल से लोटनलाल पटले के साथ ग्राम सीतापुर जा रहे थे। उसे सूचना मिली थी कि उसके पिताजी का चार पाहिया वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। उसे गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम। एक्सीडेंट में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-08 का कथन देने से इन्कार किया।

(17) अभियोजन साक्षी अनिताबाई (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो-तीन वर्ष पुरानी है। वह जीप में बैठकर घूमने जा रहा था। उसके साथ जीप में विमलाबाई भी थी तथा अन्य महिलाएं भी थी। वह नहीं बता सकती कि घटना के समय जीप कौन चला रहा था। जीप वाले की टक्कर मोटरसायकिल से हो गई थी। घटना कैसे हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी बाबूलाल यादव घटना के समय जीप चला रहा था। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसायकिल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की।

(18) अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई (अ.सा. 10), विमलाबाई (अ.सा. 11) का कहना है कि घटना उनके कथन से दो-तीन साल पुरानी है। घटना के समय आरोपी जीप को चला रहा था। वह मण्डला जा रहे थे। गाड़ी में 10-12 लोग बैठे थे बच्चे भी थे। गाड़ी में अनिता यादव, बुधियारिन, श्यामबतीबाई थी। मोहगांव के पास घटिया के पास एक्सीडेंट हो गया था जिससे मोटरसायकिल पर सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन को चलाते हुये मोटरसायकिल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की।

(19) अभियोजन साक्षी राधा अग्रवाल (अ.सा. 12), श्यामबतीबाई (अ.सा. 13), बुधियारिनबाई (अ.सा. 14) का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने

बताया कि मोटरसायकिल चालक मोटरसायकिल को तेजगति से चलाते हुये लाया और टाटा सूमों वाहन में आकर घुस गया। टाटा सूमों का चालक वाहन को सामान्य गति से चला रहा था। साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उन्होंने ड्रायवर का नाम पुलिस को नहीं बताया था तथा आरोपी गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था ऐसा भी नहीं बताया था।

(20) अभियोजन साक्षी योगेश्वर (अ.सा. 17) का कहना है कि घटना दिनांक को उसे उसके पिता की दुर्घटना होने की जानकारी मिली थी। मोहगांव ग्राउण्ड में उसके पिता का शव था और आहत मूलचंद वही पर था। मूलचंद ने उसे बताया कि चार पाहिया वाहन वाले ने उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-11 के कथन लिये थे तथा उसने दुर्घटना कारित सूमों वाहन का नम्बर सी.जी.04-एम.ए.9795 होना बताया था।

(21) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(23) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने दिनांक 17.01.2010 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी मदनलाल की रिपोर्ट पर वाहन सूमों क्रमांक सी.जी. 04-एम.ए.9795 के चालक के विरुद्ध मृतक मूलचंद एवं लोटनलाल पटले की मृत्यु के संबंध में अपराध क्रमांक 08/10 धारा 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184

की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। उसी दिनांक को मार्ग क्रमांक 3/10, 4/10 की मार्ग इंटीमेशन कायम कराया था, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल पर जाकर फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल पर मार्ग जांच में उपस्थित होने संबंधी पृथक-पृथक मार्ग का समंस जारी किया था, जो प्रदर्श पी-04 एवं प्रदर्श पी-05 है। गवाहों के समक्ष दोनों मृतकों का शव पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-06 एवं 07 है। शव पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात् घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहन क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। शव को आरक्षक तिलक सिंह के माध्यम से पी.एम. हेतु भेजा गया था। वाहन में सवार राधा अग्रवाल एवं विमला की चोटे आई थी, जिनकी एम.एल.सी. कायम कराई थी। फरियादी मदनलाल एवं साक्षी श्रीमति उर्मिलाबाई, अनिता, श्यामबती साहू, बुदियानबाई, विमलायादव, राधा अग्रवाल, रामेश्वर पटले, ईश्वरदयाल पटले, देवेन्द्र बघेल, भुपेन्द्र, योगेश्वर पटले के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 18.01.2010 को आरोपी बाबूलाल यादव के द्वारा वाहन के दस्तावेज पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। प्रकरण में जप्त शुदा वाहन का परीक्षण करवाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि फरियादी ने वाहन चालक का नाम रिपोर्ट करते समय नहीं बताया था।

(24) अभियोजन साक्षी/फरियादी मदनलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी लालघाटी की है। घटना के समय वह मोहगांव में था पता लगने पर वह घटनास्थल पर गया तो दोनों मृतक मूलचंद एवं लोटनलाल उसके पहचान के थे। घटनास्थल पर मोटरसायकिल गिरी पड़ी थी तथा वहां पर एक जीप खड़ी थी और मृतक घटनास्थल पर रोड के किनारे पड़े हुए थे। घटनास्थल पर उसे पता चला कि मोटरसायकिल का एक्सीडेंट वहां पर खड़ी जीप से हुआ है। ड्रायवर के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बाबूलाल यादव से कोई जप्ती नहीं

की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने उसकी निशादही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी बाबूलाल से पुलिस ने टाटा सूमों क्रमांक सी. जी.04-एच.ए.9795 का रजिस्ट्रेशन, इश्योरेंस और आरोपी का लायसेंस उसके समक्ष जप्त किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह मोहगांव बस स्टेण्ड पर था। प्रथम सूचना प्रदर्श पी-02 में दर्ज मोटरसायकिल का नम्बर उसे पुलिस वालों ने बताया था और लिखा था। घटनास्थल पर किसकी मोटरसायकिल को किसने टक्कर मारी इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने प्रदर्श पी-02 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 भी पुलिस ने थाने पर ही तैयार किया था। जप्ती पत्रक पर भी उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

(25) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस.उयके (अ.सा. 16) का कहना है कि उसने दिनांक 17.01.2010 को मोहगांव अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आरक्षक तिलकसिंह क्रमांक 880 थाना मलाजखण्ड के द्वारा लोटनलाल पिता खडसू पटले के शव को शव परीक्षण हेतु लाने पर उसने मृतक का शव परीक्षण किया था। परीक्षण करने पर उसने निम्न चोटे पायी :- मृतक का शरीर ठंडा था, पीठ के बल से लेटा हुआ था, आंख की पुतली फैली हुई थी, दोनों हाथ एवं पैर में राईगरस मौजूद था, आंख और मुंह आंशिक रूप से खुले हुये थे, त्वचा और नाखून का भाग पीला था, खोपड़ी के सामने वाले बांये साईड के भाग पर एक फटा हुआ घाव एवं संबंधित भाग की हड्डी टूटी हुई थी, साईड की नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी, दाहिने एवं बांये कंधे की हड्डिया टूटी हुई थी और उसके उपरी भाग के माशपेशियां एवं त्वचा कंटूजन थी, बांये भाग के घुठने की हड्डी टूटी हुई थी जहां पर सात इंच लम्बाई एवं पांच इंच चौड़ाई का घाव था जो फटा हुआ स्वरूप का था एवं संबंधित भाग के रक्त वाहिकाएं भी फटी हुई थी, दाहिने रेडियस एवं अलना हड्डी टूटी हुई थी और फटा हुआ घाव था तथा रक्त वाहिकाएं भी फटी हुई थी, मेरुदंड एवं

कपाल का परीक्षण करने पर झिल्ली एवं मस्तिष्क के मेरुरज्जू व सभी भाग में पेल था, वक्ष के भाग में पर्दा, पसली कोमलस्थ, फुफुस, कंठ श्वास नली, दाहिना फेफड़ा व बाया फेफड़ा, पेरिओन और परकरसम, हृदय, वृहत् वाहिकाएं सभी पेल थी, आंतो में अधपका भोज्य पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत में आंशिक रूप से अधपका द्रव्य भोज्य पदार्थ मौजूद था, बड़ी आंत में मल मौजूद था, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूलाशय सभी पेल थे एवं मूत्राशय खाली था, बाहरी एवं आन्तरिक जनेन्द्रीय सामान्य थी पर पेल थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के छः से बारह घण्टे के अन्दर हो चुकी थी। उसी आरक्षक द्वारा मृतक मूलचंद पिता बेनीराम को शव परीक्षण हेतु लाने पर उसने मृतक के शव परीक्षण में पाया कि :- शरीर ठंडा था, पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखें पुतली फैली हुई थी, दोनों हाथ और पैर में राइगर्स मौजूद था, शरीर के त्वचा एवं नाखून पर पेल था, आंख और मुंह आंशिक रूप से खुले थे, बाया आंख फटा था, कपाल, नाक, बांये हाथ की कलाई व दाहिने जांघ की हड्डी टूटी हुई थी तथा फटा हुआ घाव था। कपाल का परीक्षण करने पर झिल्ली एवं मस्तिष्क के मेरुरज्जू व सभी भाग में पेल था, वक्ष के भाग में पर्दा, पसली कोमलस्थ, फुफुस, कंठ श्वास नली, दाहिना फेफड़ा व बाया फेफड़ा, पेरिओन और परकरसम, हृदय, वृहत् वाहिकाएं सभी पेल थी, आंतो में अधपका भोज्य पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत में आंशिक रूप से अधपका द्रव्य भोज्य पदार्थ मौजूद था, बड़ी आंत में मल मौजूद था, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूलाशय सभी पेल थे एवं मूत्राशय खाली था, बाहरी एवं आन्तरिक जनेन्द्रीय सामान्य थी पर पेल थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के छः से बारह घण्टे के अन्दर हो चुकी थी।

(26) अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र वर्मा (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कुछ याद नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि दिनांक 17.01.2010 को पुलिस ने लोटनलाल पटले एवं मूलचंद के नक्शा पंचायतनामा के समय उसे बुलावाया था एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-01 एवं 02 पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस मृत्यु जांच में आई थी तब वह टटनास्थल मौजूद था व पंचायतनामा प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श

पी-02 और 04 पर उसके बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिये थे।

(27) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र बघेल (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर था। घटनास्थल पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस मृतकों के संबंध में कार्यवाही कर रही थी उस समय उसने नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-01 तथा मृत्यु जांच आवेदन पत्र प्रदर्श पी-03 पर हस्ताक्षर किये थे। मृत्यु किस कारण और कैसे हुई इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है तो वह घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल पर सूमों या स्कार्पियो वाहन खड़ा था। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल से वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने उसके सामने एक दो पहिया वाहन को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-06 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि सूमों वाहन द्वारा मोटरसायकिल को ठोस मारकर दुर्घटना कारित की गई। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-07 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये और समझाये जाने से पुलिस को ऐसा कथन देने से इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी और घटना कैसे हुई इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। आरोपी का नाम और उसकी जानकारी उसे नहीं है।

(28) अभियोजन साक्षी विक्रमदास (अ.सा. 4) का कहना है कि पुलिस ने उसके कथन से लगभग साल भर पूर्व पंचायतनामा प्रदर्श पी-03 एवं सूचना पत्र प्रदर्श पी-04 पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसे बताया था कि एक्सीडेंट में दो लोगों की मृत्यु हो गई है। नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-01 पुलिस ने उसके सामने नहीं लिखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-02 की लिखापढ़ी उसके सामने हुई।

(29) अभियोजन साक्षी शिवाजी (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके समक्ष मृत्यु जांच का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-01 है, जिसकी सूचना उसे

पुलिस वालों ने दी थी, जो प्रदर्श पी-03 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस वाले उसके परिचित थे इसलिये उसने हस्ताक्षर कर दिये।

(30) अभियोजन साक्षी रामेश्वर पटले (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना दिनांक 17.01.2010 की है। घटना दिनांक को उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि मूलचंद का सूमों वाहन से एक्सीडेंट लालघाट के पास हो गया है। उक्त सूचना पर वह लालघाट गई थी। जहां पर मोटरसायकिल और मूलचंद तथा लोटनलाल पड़े हुये थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक मूलचंद का शव पी.एम. के बाद उसे प्रदर्श पी-02 के अनुसार सौंपा गया था। वह बाबूलाल को नहीं जानती है। पुलिस वालों ने थाना मलाजखण्ड में उसके सामने सूमों वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लायसेंस बीमा के कागजात जप्ती कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-1 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि पुलिस ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 की कार्यवाही करते समय उसे बताया कि आरोपी बाबूलाल यादव से वाहन और उसका लायसेंस, बीमा कागजात जप्त कर रहे हैं और उस उपरान्त उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना कैसे हुई उसे इसकी जानकारी नहीं है तथा वाहन कौन चला रहा था इस बात की भी जानकारी उसे नहीं है। पुलिस वालों ने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे।

(31) अभियोजन साक्षी ईश्वरदयाल (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को उसके पिताजी मूलचंद के साथ मोटरसायकिल से सीतापुर जा रहे थे। मोबाईल से उसे सूचना प्राप्त हुई कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह मोहगांव शासकीय अस्पताल गया था। एक्सीडेंट टाटा सूमों वाहन से हुआ था यह बात उसे पता चली थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के उसके सामने नहीं हुई।

(32) अभियोजन साक्षी भूपेश शरणागत (अ.सा. 8) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन वर्ष पुरानी है। उसके पिताजी मोटरसायकिल से लोटनलाल पटले के साथ ग्राम सीतापुर जा रहे थे। उसे सूचना मिली थी कि उसके पिताजी का चार

पाहिया वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। उसे गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम। एक्सीडेंट में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-08 का कथन देने से इन्कार किया।

(33) अभियोजन साक्षी अनिताबाई (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो-तीन वर्ष पुरानी है। वह जीप में बैठकर घूमने जा रहा था। उसके साथ जीप में विमलाबाई भी थी तथा अन्य महिलाएं भी थी। वह नहीं बता सकती कि घटना के समय जीप कौन चला रहा था। जीप वाले की टक्कर मोटरसायकिल से हो गई थी। घटना कैसे हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी बाबूलाल यादव घटना के समय जीप चला रहा था। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसायकिल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की।

(34) अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई (अ.सा. 10) एवं विमलाबाई (अ.सा. 11) का कहना है कि घटना उनके कथन से दो-तीन साल पुरानी है। घटना के समय आरोपी जीप को चला रहा था। वह मण्डला जा रहे थे। गाड़ी में 10-12 लोग बैठे थे बच्चे भी थे। गाड़ी में अनिता यादव, बुधियारिन, श्यामबतीबाई थी। मोहगांव के पास घटिया के पास एक्सीडेंट हो गया था जिससे मोटरसायकिल पर सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन को चलाते हुये मोटरसायकिल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की।

(35) अभियोजन साक्षी राधा अग्रवाल (अ.सा. 12), श्यामबतीबाई (अ.सा. 13), बुधियारिनबाई (अ.सा. 14) का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने बताया कि मोटरसायकिल चालक मोटरसायकिल को तेजगति से चलाते हुये लाया और टाटा सूमों वाहन में आकर घुस गया। टाटा सूमों का चालक वाहन को सामान्य गति से

चला रहा था। साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उन्होंने ड्रायवर का नाम पुलिस को नहीं बताया था तथा आरोपी गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था ऐसा भी नहीं बताया था।

(36) अभियोजन साक्षी योगेश्वर (अ.सा. 17) का कहना है कि घटना दिनांक को उसे उसके पिता की दुर्घटना होने की जानकारी मिली थी। मोहगांव ग्राउण्ड में उसके पिता का शव था और आहत मूलचंद वही पर था। मूलचंद ने उसे बताया कि चार पाहिया वाहन वाले ने उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-11 के कथन लिये थे तथा उसने दुर्घटना कारित सूमों वाहन का नम्बर सी.जी.04-एम.ए.9795 होना बताया था।

(37) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा. 15) के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी मदनलाल (अ.सा. 1), धर्मेन्द्र (अ.सा. 2), देवेन्द्र बघेल (अ.सा. 3), विक्रमदास (अ.सा. 4), शिवाजी (अ.सा. 5), रामेश्वर (अ.सा. 6), ईश्वरदयाल (अ.सा. 7), भूपेश शरणागत (अ.सा. 8), अनिताबाई (अ.सा. 9), उर्मिलाबाई (अ.सा. 10), विमलाबाई (अ.सा. 11), राधा अग्रवाल (अ.सा. 12), श्यामबती (अ.सा. 13), बुधयारिनबाई (अ.सा. 14), योगेश्वर (अ.सा. 17) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता तथा डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट से दुर्घटना में मूलचंद तथा लोटनलाल की मृत्यु कारित होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी बाबूलाल ने दिनांक 17.01.2010 को समय करीब 12:00 बजे मलाजखण्ड बैहर मेनरोड लालघाटी बंजारी मन्दिर के पास वाहन सूमों क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मूलचंद तथा लोटनलाल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है एवं वाहन को बिना

रजिस्ट्रेशन के चालन किया तथा बिना परमिट के अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(38) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी बाबूलाल ने दिनांक 17.01.2010 को समय करीब 12:00 बजे मलाजखण्ड बैहर मेनरोड लालघाटी बंजारी मन्दिर के पास वाहन सूमां क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मूलचंद तथा लोटनलाल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है एवं वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया तथा बिना परमिट के अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(39) परिणाम स्वरूप आरोपी बाबूलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 66/192 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(40) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(41) प्रकरण में जप्तशुदा सूमां वाहन क्रमांक सी.जी.04-एच.ए.9795 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)